

178

## माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

निगा-3341-832-16

सिविल रिवीजन क्रं. /2016

प्रस्तुती दिनांक .... /..... /2016

राधेश्याम पिता श्री कल्लू यादव  
रामनगर, बजरंगपुरा के पीछे,  
राजाराम पटेल के भट्टे के पास सांवेर रोड़, इन्दौर

1. राजाराम पिता मनीराम पटेल  
निवासी- गोविन्द नगर, खारचा, इन्दौर
2. रमेशचन्द्र पिता श्री मनीराम पटेल  
423, राजाबाग कॉलोनी, कुशवाह नगर इन्दौर

वि रू द्ध  
27/7/16  
पुनरीक्षणकर्ता  
27/9/16  
27/9/16  
प्रत्यर्थीगण




सिविल रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता के तहत (राजस्व प्रकरण क्रं. 6/अ-70/2015-16 दिनांक 25/07/2016 को पारित आदेश के विरुद्ध)

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि :-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार, मल्हारगंज, इन्दौर, पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार सोनी के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 6/अ-70/2015-16 में पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध दिनांक 25/07/2016 को अन्तरिम आदेश पारित कर कब्जा हटाने संबंधी आदेश दिये गये हैं। जिसके विरुद्ध न्यायार्थ यह रिवीजन/पुनरीक्षण दुखित व पीडित होकर प्रस्तुत है :-

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य



1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर में सर्वे नं. 233, 238 स्थित राम नगर में निवास करता हैं। इस स्थान पर पुनरीक्षणकर्ता का मकान निर्मित हैं जिसमें वह पिछले 32-33 वर्षों से निवास कर रहा हैं।
2. यह कि, उक्त स्थान पुनरीक्षणकर्ता पिछले 32-33 वर्षों से विधिक प्राधिकार से क्रय किया गया था। क्रय करने के पश्चात् से आज दिनांक तक उक्त स्थान पर कब्जे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा।
3. यह कि, प्रत्यर्थीगण सर्वे नं. 236 व 237 की भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ईट भट्टा का कार्य करते रहे हैं तथा 24 घण्टे प्रत्यर्थीगणों की भूमि पर



# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3341-पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।</p>	<p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>